

परिशिष्ट "अ" ५/११/२०२०-२१

कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण विभाग) जिला श्योपुर (म.प्र.)

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5221 द्वारा माननीय विधायक श्री बाबू जण्डेल के प्रश्नांश (क) की जानकारी
परिशिष्ट "अ"

क्र.	आवेदक का नाम	पिता का नाम/माता का नाम	पद	पदस्थ संस्था	जिस पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की जाना है	आवेदन कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक
1	श्री रामभरत आदिवासी	स्व. श्रीमती अजुब्दी बाई	4	5	6	7
2.	श्री सोनू आदिवासी	स्व. श्री रामहेत आदिवासी	रसोईया	आदिवासी बालक छात्रावास पालपुर	चतुर्थ श्रेणी	20.10.2020
			रसोईया	आदिवासी बालक आश्रम पुराना गोरस	चतुर्थ श्रेणी	16.12.2020

टीप :- अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदकों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में आवश्यक शपथ-पत्र, नियुक्ति के पूर्व जिला चिकित्सालय बोर्ड का प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) संबंधी कार्यवाही लंबित है।

सहायक कलेक्टर
आदिम जाति एवं अनुजा.कल्याण
जिला श्योपुर (म.प्र.)

परिशिष्ट - 8

कार्यालय क्लर्क, आरिफ जाति कल्याण शाखा जिला-शिवपुरी
मध्य प्रदेश

क्रमांक/आ.जा.क./स्था./92/1972 शिवपुरी, दिनांक 15/10/92

आदेश

दिनांक 7-5-90 को सम्पन्न हुई सभागीय छान्द्वीन समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार, निम्नलिखित नेमेरिक्त द्वितीय श्रेणी लिपिक को आदेश जारी होने के दिन से वेतनमान 950-25-1000-30-1210-40-1530 पर इस्तेमाल के लिए अस्थायी तौर पर नियमित किया जाता है।

- 1- श्रीमती सुशीला शर्मा द्वितीय श्रेणी लिपिक
 - 2- श्री लोकेन्द्र सिंह भसीरया द्वितीय श्रेणी लिपिक
- श्री लोकेन्द्र सिंह भसीरया को वार्षिक वेतन घट्टे का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक वे बोर्ड की टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते।

इन कर्मचारियों को श्रेणीबद्ध बोर्ड का स्थायी प्रमाण पत्र 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

इन कर्मचारियों की तमारे पुनर्स्थापना से अनुकूल वास्तव सत्यापन का प्रमाणीकरण प्राप्त होने पर ही निरंतर रखी जा सकेगी।

सही/-
क्लर्क
जिला-शिवपुरी

पु.क्र./आ.जा.क./स्था./92/1973 शिवपुरी, दिनांक 15/10/92

प्रतीति:-

- 1- उपसंचालक, आरिफ जाति कल्याण शाखा, जो उनके पत्र क्रमांक 1621 दिनांक 2-5-90 के संदर्भ में सूचनाएं लेखा शाखा, आरिफ जाति कल्याण विभाग शिवपुरी को सूचनाएं।
- 2- सतीश जी - - - - - को सूचनाएं
- 3- एवं आवश्यक कारवाही हेतु।

आरिफ जाति

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5221 लोकेन्द्र सिंह भदौरिया की संशोधित जानकारी

क्र.	विभाग में नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम	नियुक्ति से संबंधित नियम निर्देश का विवरण	कुल प्राप्त शिकायतें	शिकायतकर्ता का नाम	संबंधित विषयवस्तु	जांच प्रतिवेदन का निकर्ष	की गई कार्यवाही
1	2 1972/15.10. 92	3 कलेक्टर जिला शिवपुरी	4 श्री लोकेन्द्र सिंह भदौरिया की नियुक्ति नैमित्तिक द्वितीय श्रेणी लिपिक के पद पर की गई थी एवं आदेश जारी होने के दिनांक से वेतनमान 950-25-1000-30-1210-40-1530 पर रिक्त पद के विरुद्ध अस्थाई तौर पर नियमित किया गया।	5 02	6 श्री बालाराम पुत्र चांसीराम बैरवा जाटखेड़ा जिला श्योपुर	7 श्री लोकेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा प्रार्थी से 20000/- की राशि ट्रांसफर हेतु ली गई, लेकिन ट्रांसफर नहीं लगवाये जाने के संबंध में कलेक्टर महोदय को दिनांक 26.10.2015 एवं कलेक्टर महोदय की जनसुनाई क्रमांक 86 दिनांक 12.12.2017 के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई।	8 तत्कालीन सहायक आयुक्त श्री संदीप जैन द्वारा जनसुनाई में प्राप्त शिकायत की जांच की गई, जांच में कोई जुर्म दस्तावेजी घटित नहीं होना पाये जाने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 544 दिनांक 17.05.2017 के द्वारा शिकायतकर्ता को सूचित किया गया।	9 -
					श्री बालाराम पुत्र चांसीराम बैरवा जाटखेड़ा जिला श्योपुर	श्री लोकेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा प्रार्थी से 20000/- की राशि ट्रांसफर हेतु ली गई, लेकिन ट्रांसफर नहीं लगवाये जाने के संबंध में कलेक्टर महोदय की जनसुनाई दिनांक 01.05.2018 के द्वारा उक्त शिकायत की गई।	तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त श्री सुनील भदौरिया द्वारा जनसुनाई में प्राप्त शिकायत की जांच की गई, जांच शिकायत गिराधार एवं असत्य होने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 575 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया।	

सहायक आयुक्त
आदिम जाति एवं अनु.जा. कल्याण
जिला श्योपुर (म.प्र.)